फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/17) **मर्यादानगर सोसायटी जरिये मंत्री नरेन्द्र कुमार बनाम अशोक कुमार दोषी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.02.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सम्पतलाल बोहरा - वकील अपीलार्थी 2. श्री राकेश करणपुरिया - वकील प्रत्यर्थी-1 व 3 से 13 3. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री मर्यादानगर सोसायटी जरिये मंत्री श्री नरेन्द्र पोरवाल पिता श्री चुन्नीलाल पोरवाल, निवासी 3बी, हजारेश्वर कॉलोनी, उदयपुर** **अपीलार्थी** **1. श्री अशोक कुमार पिता श्री विजयसिंह दोशी, निवासी 65 पोलोग्राउण्ड, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।** **2. प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।** **3. श्री सुरेन्द्र पिता श्री सोहनलाल फुगलिया, निवासी पानेरी उपवन फतहपुरा, उदयपुर।** **4. श्री ललित जैन पिता श्री लक्ष्मीलाल जैन, निवासी आमेट, जिला राजसमन्द।** **5. श्री दिलीप जैन पिता श्री लक्ष्मीलाल जैन, निवासी आनन्दनगर, उदयपुर।** **6. श्री लादूलाल पिता श्री रोशनलाल मेडतवाल, निवासी 56, आनन्दनगर, उदयपुर।** **7. श्री अशोक भलावत पिता श्री मोहनलाल भलावत, निवासी डायमंड पार्क लिविंग रूम नम्बर 6, दंतमन्दिर रोड़, मुम्बई।** **8. श्रीमती चन्द्रकान्ता पत्नि श्री गणेशलाल कोठारी, निवासी बनेडा हाउस, उदयपुर।** **9. श्रीमती भगवतीदेवी लोढ़ा पत्नि श्री मिश्रीलाल लोढ़ा, निवासी 26-27 प्रतापकॉलोनी, कालका माता रोड़, उदयपुर।** **10. श्री गगन पिता श्री प्रकाश जैन, निवासी गोगुन्दा, उदयपुर।** **11. श्री प्रदीपकुमार जैन पिता जितेश कुमार जैन, निवासी उदयपुर।** **12. श्रीमती सुचिता पोरवाल पत्नि श्री अशोक पोरवाल, निवासी 2 पोरवालों की सेहरी, उदयपुर।** **13. श्रीमती सुषमा श्यामसुखा पत्नि श्री रवि श्यामसुखा, निवासी 6 आदिनाथनगर, गलेक्सी अपार्टमेंट के पास, फतहपुरा, उदयपुर।** **प्रत्यर्थी** **प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क क्रमांक F.11()Regin-1/Bhuwana/2017/320 दिनांक 12.02.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-90क भू-राजस्व अधिनियम 1956** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 12.02.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क क्रमांक F.11()Regin-1/Bhuwana/2017/320 दिनांक 12.02.2018 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● राजस्व ग्राम भुवाणा, तहसील बडगांव के मूल आराजी संख्या-3507 के 12 बट्टा नम्बर रकबा 0.4650 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रत्यर्थी-1 एवं प्रत्यर्थी-2 से 13 के नाम आदेश दिनांक 12.02.2018 को पारित किया। ● प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा-90क दिनांक 12.02.2018 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 15.11.2018 को प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मयाद अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/17) **मर्यादानगर सोसायटी जरिये मंत्री नरेन्द्र कुमार बनाम अशोक कुमार दोषी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील उक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से अभिलेख मंगवाया गया। तत्पश्चात उक्त प्रकरण कार्यालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर क्रमांक 96 दिनांक 05.01.2024 के अनुसरण में क्षेत्राधिकार परिवर्तन किये जाने स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिस दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिवक्ता पक्षकारान को तद्नुसार सूचित कराय गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 08.02.2024 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक व लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलान्ट एक रजिस्टर्ड संस्था है तथा उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर 39/उदयपुर/2005-06 है। मौजा भुवाणा के आराजी संख्या-4756/3507 रकबा 0.1100 है. भूमि स्थित है, जिसे अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की तथा यह जमीन अपीलान्ट के खाते दर्ज होनी चाहिए परन्तु यह जमीन श्री अशोक कुमार दोषी ने अपने नाम पर खातेदारी हक से दर्ज करा ली। श्री अशोक कुमार केवल मात्र अध्यक्ष है तथा उसने व्यक्तिगत रूप से आराजी का कभी भी क्रय नहीं किया। उसके नाम से गलत दर्ज होने से उसने धारा-90क की कार्यवाही करा पट्टा प्राप्त कर लिया, जबकि उसे 90क की कार्यवाही कराने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलान्ट द्वारा न तो उक्त भूमि को सरेन्डर की किया, न धारा 90क की कार्यवाही कराई गई। उक्त जमीन पर अपीलान्ट काबिज है तथा इस जमीन का रेस्पोडेंट संख्या 1 से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलान्ट ही हितबद्ध व्यक्ति है, तथाकथित आदेश से उसके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है, इस कारण यह अपील पेश की जा रही है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में कथित धारा 90क कार्यवाही निरस्त की जाकर कथित जमीन को पूर्ववत खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है ताकि अपीलान्ट कथित जमीन में अपने नाम दर्ज कर धारा 90क की कार्यवाही करा सकें। कथित कार्यवाही में दैनिक भास्कर आपत्तियां आमंत्रित की गई परन्तु अपीलान्ट द्वारा दैनिक भास्कर पढ़ने में नहीं आने से 90क की कार्यवाही ज्ञान में नहीं आई अन्यथा अपीलान्ट द्वारा उसी समय आपत्तियां पेश कर दी जाती। कथित आदेश अपीलान्ट को सुने बिना तथा उसे नोटिस दिये बिना पारित किया जो काबिल निरस्त के है। ऐसे में अपीलार्थी को उक्त कार्यवाही का जानकारी न हो सकी जिससे जानकारी प्राप्त होते ही हस्तगत अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश की गई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 90क का आदेश में तद्नुसार संशोधन हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित कराया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 3 से 13 अपनी बहस में कथन प्रस्तुत किया कि मौजा भुवाणा, तहसील बड़गावं, जिला उदयपुर में आराजी संख्या 4756/3507 रकबा 0.1100, जमीन स्थित है तथा इसे अपीलांट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है परन्तु राजस्व रेकर्ड में प्रत्यर्थी-1 श्री अशोक कुमार के नाम गलत इन्द्राज हो गई, जबकि यह जमीन मर्यादानगर सोसायटी की है। राजस्व रेकर्ड में मर्यादा नगर सोसायटी का अध्यक्ष होने से प्रत्यर्थी-1 के व्यक्तिगत नाम पर गलत दर्ज हो गई जबकि यह सोसायटी की जमीन है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकारान भी अपीलार्थी के कथनों से सहमत है। अतः उक्त भूल को सुधार कर अपील को स्वीकार फरमाई जावें एवं तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय को आक्षेपित आदेश में नाम सुधार संशोधित आदेश जारी करने हेतु निर्देशित करावें।

अधीनस्थ न्यायालय प्रत्यर्थी-2 के ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने कथन में प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश अन्तर्गत धारा-90क का आदेश पारित किया ।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 08/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/17) **मर्यादानगर सोसायटी जरिये मंत्री नरेन्द्र कुमार बनाम अशोक कुमार दोषी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आद्योपांत अवलोकन किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया अपीलाधीन आदेश से अपीलार्थी का प्रभावित होना पाया जाता है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। इसके अतिरिक्त विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण आदेशों पर मयाद के बिन्दु लागु नहीं होता है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राजस्व ग्राम भुवाणा, तहसील बडगांव के मूल आराजी संख्या-3507 के 12 बट्टा नम्बर रकबा 0.4650 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिसका राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-90क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने बाबत प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा प्रत्यर्थी-1 एवं प्रत्यर्थी-2 से 13 के नाम आदेश दिनांक 12.02.2018 को पारित किया, उक्त आदेश से व्यथीत होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट से निर्विवादित स्थिति रही है कि विवादित जमीन को मर्यादानगर सोसायटी जरिये अध्यक्ष अशोक दोषी के मार्फत जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2009 से क्रय किया था, जिस हेतु अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी 3 से 13 द्वारा संयुक्त रूप से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष धारा-90क की कार्यवाही हेतु आवेदन किया गया और आवेदक द्वारा समस्त विक्रय पत्र व अन्य वांछित दस्तावेज/शपथ इत्यादि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किये गये। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-90 दिनांक 12.02.2018 को पारित किया, जिसमें क्रम संख्या 11 पर मर्यादानगर सोसायटी के स्थान पर श्री अशोक दोषी को नाम अंकित कर दिया गया, जबकि भूमि मर्यादानगर सोसायटी जरिये अध्यक्ष अशोक दोषी के मार्फत जरिये विक्रय पत्र दिनांक 30.09.2009 से क्रय की। दौराने बहस, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 3 से 13 द्वारा उक्त त्रुटि को स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश में सुधार किये जाने हेतु अपनी स्वीकारोक्ति दी। इसी क्रम में प्रत्यर्थी-1 श्री अशोक कुमार दोषी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अपील स्वीकार किये जाने हेतु दिनांक 19.01.2021 भी प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थीगण पक्षकारान की स्वीकारोक्ति एवं प्रस्तुत विक्रय पत्र से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 12.02.2018 में आवेदक क्रम संख्या 11 पर मर्यादानगर सोसायटी के स्थान पर श्री अशोक दोषी को नाम अंकित कर दिया गया, जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्तर संशोधित आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त विवेचन एवं पक्षकारान अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 व 3 से 13 की स्वीकारोक्ति के आलोक में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 12.02.2018 में अंकित आवेदक क्रम संख्या 11 श्री अशोक दोषी के स्थान पर मर्यादानगर सोसायटी के नाम पर संशोधित आदेश एक माह में जारी का आगामी कार्यवाही करावें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर